



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 418]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2015—आश्विन 22, शक 1937

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2015

क्र. एफ-15-65-2015-बाईस-पं.-2.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 70 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 में जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3)द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 21 अगस्त, 2015 में पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

1. उक्त नियमों में, अनुसूची-चार में, अनुक्रमांक 2 के सामने कॉलम (2) में, “सहायक अध्यापक” के स्थान पर, शब्द “सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला)” स्थापित किये जाएं।

No. F. No. 15-65-2015-XXII-P-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (2) of Section 70 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, hereby makes the following amendment in Madhya Pradesh Panchayat Adhyapak Samvarg (Employment and conditions of Services) Rules, 2008 the same having been previously published in Madhya Pradesh Gazette, dated 21st August, 2015 as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, in Schedule-IV, column (2), against serial number 2, for the word “Sahayak Adhyapak” the words “Sahayak Adhyapak/Sahayak Adhyapak (Laboratory)” shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बृजेश कुमार, अपर सचिव।